कार्यालय नगर पालिका परिषद, सरधना (मेरठ)

पत्रांक :– 1851/न०पा०प०स० दिनांक :– 28/3/16

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्त्तीय वर्ष 2016–17 के लिए **ठेका विज्ञापन, मौहल्ला भुलरिया में स्थित पालिका भूमि पर पार्किंग हेतु** वार्षिक ठेकाजात की निविदाएं दिनांक 05/04/16 को समय अपरान्ह 3 बजे तक नगर पालिका कार्यालय में आमंत्रित की जाती है, जो उक्त दिनांक को ही समय सायं 4 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में नगर पालिका कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा फार्म दिनांक 30.03.2016 को ही समय सायं 1:00 बजे तक नगर पालिका कार्यालय से नकद 500/–रूपये शुल्क देकर क्रय किये जा सकते है। शासनादेश संख्या एम–3/9–9–2012–160ज/11/नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 30.03.2013 के क्रम में गत ठेकों की वसूली धनराशि पर 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए सरकारी बोली (धनराशि) निर्धारित की गयी है।

वार्षिक ठेकाजात व शर्तो का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0स0	ठेके का नाम	धरोहर राशि	धनराशि जमा करने की शर्ते	अभ्युक्ति
1	ठेका विज्ञापन	5000	निविदा स्वीकृति की सम्पूर्ण धनराशि नकद जमा करनी होगी।	–
2	मौहल्ला भुलरिया में स्थित पालिका भूमि पर पार्किंग हेतु ठेका	25,000	निविदा स्वीकृति पर 50 प्रतिशत धनराशि उक्त दिनांक को ही नकद जमा करनी होगी, शेष धनराशि निविदा स्वीकृति के 3 माह के अन्दर–अन्दर जमा करनी अनिवार्य होगी।	–

1. सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा फार्म पर गत वर्ष की अधिकतम बोली से 10 प्रतिशत वृद्धि कर सरकारी बोली अंकित की गयी है,इससे अधिक दरो की निविदा पर ही विचार किया जायेगा ।
3. प्रत्येक ठेके (मद) के लिए अलग–अलग सीलबन्द लिफाफा देना होगा, जिस पर ठेके का विवरण अंकित होगा।
4. निविदा फार्म क्रय करते समय उपरोक्त क्रमांक 1 व 2 को छोडते हुए शेष ठेका मदों के लिए जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से निर्गत **हैसियत प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप में निविदा फार्म लेने के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।** उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्नक करनी होगी।
5. **ठेका की धरोहर राशि नकद अथवा एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, सरधना के नाम बन्धक हो निविदा विक्रय के समय देनी अनिवार्य होगी, शर्त का पालन न करने पर निविदा फार्म विक्रय नहीं किया जायेगा।**
6. अधिकतम धनराशि वाली निविदा को स्वीकृत किया जायेगा। किन्तु निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
7. निविदा स्वीकृति के पश्चात ठेका का नियमानुसार निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता की निविदा स्वीकृति के पश्चात नगर पालिका/जिला प्रशासन/शासन/न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा।
9. नगर पालिका परिषद, सरधना (मेरठ) के बकायेदार अथवा काली सूची में दर्ज व्यक्ति निविदा में भाग नहीं ले सकेगा ।
10. ठेका से सम्बन्धित अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।
11. उक्त अति अल्पकालीन निविदा नगर पालिका की वेबसाईट www.nppsardhana.com पर भी देखी जा सकती है।

(नीलाव शर्मा)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

(असद गालिब)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)